

प्रेम,

श्री आनंद गांगुली,
उप निदेशक,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र, 28 मुद्राग केन्द्र,
प्रतिनिधित्व नई दिल्ली ।

विधा 171 अनुभाग

तारीख: दिनांक: 20 अक्टूबर, 1993

विषय:-

सीबीएसई पब्लिक स्कूल गांधी आनंद, फतेहपुर जिला की नैनीताल
सीबीएसई नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये
जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सीबीएसई
पब्लिक स्कूल, फतेहपुर जिला की सीबीएसई नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रदान
दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति
नहीं है ।

- 1- विद्यालय का पंजीकृत सौतापटी का समय समय पर नवीनीकरण
कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रधान समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित
एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम एक प्रतिष्ठित स्थान अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर
प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में
विभिन्न स्थाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं
लिवा जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की
जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से
वैतिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की
सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कील फार दि
इन्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्वैस्टिगेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती
है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से
परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त
हो जायेगा ।
- 5- संस्था के अधिक एवं शिक्षित कर्मचारियों की राजकीय सहायता
प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा
अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।

COUNTERSIGNED

Controller,
English Medium School &
Deputy Director of Education,
Kumaon Region, Nainital.

कोटी श्री आनंद
11.3.94

उप निदेशक,
शिक्षा, नैनीताल

प्राप्त अंगीकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमति देना नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय आगामी 3 वर्ष के भीतर विद्यालय हेतु सम्पूर्ण निजी भवन बनवा लिया जायेगा तथा समस्त कर्मचारियों शिक्षक/शिक्षकेतर का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा। यथा समय शासन को भी अभिलिखित स्त प्रमाण सहित अवगत कराया जायेगा।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की गूढ़ या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनामतित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

।अशोक गांगुली।
उप तपिस।

पु०सं० 4182111/15-7-1993 तदुद्दिष्ट

प्रतिलिपि निम्नलिखित जो सुचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मंडलीय उप शिक्षा निदेशक हुमायूं मंडल मैनीताल।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनीताल।
- 4- निरीक्षक, अंगन भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, सीबीएसई पब्लिक स्कूल, हल्द्वानी मैनीताल।

आज्ञा से,

।अशोक गांगुली।
उप तपिस।

COUNTERSIGNED
English Medium
Deputy
Kumaon Region, India

जोसे श्री समीर
11.3.94
उप शिक्षा निदेशक
हुमायूं मंडल, मैनीताल